

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय : विषय:- डब्ल्यू.पी. क्रमांक- 5624/8 द्वारा श्री राम शंकर कुशवाह के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन।

14m.
p.01
का विभाग

-0-

पंजी क्रमांक- 511/2016 दिनांक 22.1.2016
कार्यपालन यंत्री, भ/प संभाग भिण्ड से प्राप्त पत्र।

-0-

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। कार्यपालन लोक निर्माण भ/प संभाग, भिण्ड द्वारा मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा याचिका की प्रति उपलब्ध कराई गई है।

अतः प्रकरण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण भ/प संभाग, भिण्ड को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। आदेश की प्रत्याशा में आदेश का प्रारूप अनुमोदनार्थ (स्वच्छ प्रतियां सहित) प्रस्तुत है।

अनुभोग अधिकारी,

11/1/2016

2/1/16

1/1/16

01/02/16

02/02/16

1/1/16

2/1/16

1/1/16

1/1/16

3/1/16

03/02/16

03/02/16

05

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
आदेश 604-05-1/19
दिनांक 06/02/2016

20

उपस्थित-२ सचिवालय

एफ-19-32/2016/स्था/19

विषय :

विषय:- डब्ल्यू.पी. क्रमांक- 5624/5 द्वारा श्री राम शंकर कुशवाह के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन।

का विभाग

-0-

पूर्व पृष्ठ से-

R.H/c

गुमारी डाकियारी से निरुद्ध
उपरोक्त प्रकरण शासन द्वारा
पदा समर्पण हेतु सिद्धि विभाग के
आदेश फल-वाटने।

छात्र डाकियारी

आर.एस.

सचिव

विभाग/मार्ग

04/03/16

05/03/16

चन्द प्रकाश अग्रवाल
सचिव, म.प्र. शासन
लोक निर्माण विभाग

चन्द प्रकाश अग्रवाल
सचिव, म.प्र. शासन
लोक निर्माण विभाग

सचिव
04/03/16

सचिव
04/03/16

4210

सचिव
04/03/16

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 06/01/2016

क्रमांक-एफ-19-32/2016/स्था/19:: राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण भ/प संभाग, भिण्ड को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक-5624/2015, श्री राम शंकर कुशवाह विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि ओर विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं. निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा समग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहायोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

17

::2::

- 8 अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
- 9 यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हों।
10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होत है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(सुनील मंडावी)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 06/02/2016

पृ.क्रमांक - एफ-19-32/2016/स्था/19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि ओर विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, म0प्र0 भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर।
5. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल, ग्वालियर।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण म/प संभाग, भिण्ड / प्रभारी अधिकारी की और अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर विशेष अनुमति याचिका दायर कर रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।
7. जिलाध्यक्ष जिला भिण्ड।

(सुनील मंडावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग

19

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
बल्लभ-भवन-भोपाल-462004,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 06/01/2016

क्रमांक-एफ-19-32/2016/स्था/19:: राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण भ/प संभाग, भिण्ड को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक-5624/2015 श्री राम शंकर कुशवाह विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि ओर विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ओर ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा समाग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहायोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

- 8 अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
- 9 यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हों।
10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होत है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदमे है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकदमे है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुनील मंडावी)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 06/02/2016

पृ.क्रमांक - एफ-19-32/2016/स्था/19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि ओर विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, म0प्र0 भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर।
5. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल, ग्वालियर।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण म/प संभाग, मण्ड / प्रभारी अधिकारी की और अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर विशेष अनुमति याचिका दायर कर रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।
7. जिलाध्यक्ष जिला मण्डल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 06/02/2016

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

W.P. No. of 2015 (S)

5624

Petitioner :

Ram Shankar Kushwah S/o Shri Jas
Ram , aged 47 years, occupation
service as Choukidar, R/o Village
Daboha Distt. Bhind (M.P.).

Versus

Respondents :

1. State of Madhya Pradesh through the
Principal Secretary, Public Works
Department, Mantralaya, Vallabh
Bahwan, Bhopal, M.P.
2. Enginner-in-Chief, Public Works
Department, Satpura Bhawan,
Bhopal, M.P.
3. Chief Engineer(North), Public Works
Department, Morar, Gwalior, M.P.
4. Executive Engineer, Public Works
Department, Bhind Division, Bhind,
M.P.

PETITION UNDER ARTICLE 226 OF

CONSTITUTION OF INDIA

The copies required by rule 25 of Chapter X of High Court of
M.P. Rules, 2008 have been served upon A.G. Office,
Gwalior on 21.08.2015

1. Particulars of the Cause/Order against which the Petition is
made

- | | | | |
|------|-----------|---|-----|
| (i) | Order No. | : | Nil |
| (ii) | Dated | : | Nil |

Presented on 21/8/15
By *[Signature]*
Presentation Assistant

21/8/15
ललित शर्मा
राज्य अधिवक्ता
अ न्यायालय ग्वालियर

ANNEXURE-C
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
CASE No. OF 20
ORDER SHEET (Continuation)

Date & S. No.
of the order

Order

W.P. No.5624/2015
(Ram Shankar Kushwah Vs. State of M.P. and others)

13/10/15

Shri P.L.Sharma, Advocate for the petitioner.
Shri S.K.Jain, G.A. for the respondents-State.

Learned counsel for the parties fairly submit that the controversy involved in this writ petition is squarely covered by the order dated 6/4/2015 passed by a co-ordinate Bench of this Court in W.P. No.2000/2015 (Kaluram Narwariya Vs. State of M.P. and others).

Accordingly, this writ petition is disposed of on the same terms as in W.P. No.2000/2015. The directions contained therein shall apply *mutatis mutandis* to this case with full force. The parties are directed to act accordingly.

Petition is disposed of.

(Rohit Arya)
Judge

(and)

11) Petition received on 13/10/15
12) Application filed to appear on 16/10/15
13) Petition dismissed on 13/10/15

14) Petition dismissed on 13/10/15
15) Petition dismissed on 13/10/15

16) Petition dismissed on 13/10/15
17) Petition dismissed on 13/10/15

18) Petition dismissed on 13/10/15
19) Petition dismissed on 13/10/15

20) Petition dismissed on 13/10/15
21) Petition dismissed on 13/10/15

22) Petition dismissed on 13/10/15
23) Petition dismissed on 13/10/15

Head Copies

Copyist

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY

Section Officer
Madhya Pradesh High Court
Gwalior Bench, Gwalior
Certified true & correct

Checked & Found Correct
15/10/15
A.H.C.

पु. 19-32/2016/रजि. 19

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग(भ/प) संभाग, भिण्ड (म.प्र.)
E-mail:- eepwdbhind@gmail.com

पत्र क्रमांक-86 / कोर्ट केस / 2015-16

भिण्ड, दिनांक- 5 / 1 / 2015

प्रति,

1.

सचिव

लो.नि.वि. म.प्र. शासन भोपाल

मुख्य प्रदरता अधिकारी
लोक निर्माण विभाग

पृ. क्र. 511 / 19

दिनांक 24.11.16

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक WP 5624/2015 द्वारा श्री राम शंकर कुशवाह दै.वे.भो. विरुद्ध म.प्र. शासन में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में।

—0000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रकरण क्रमांक WP 5624/2015 द्वारा श्री राम शंकर कुशवाह दै.वे.भो. विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा पंजीकृत है। उच्च न्यायालय ग्वालियर में उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 13.10.2015 को पारित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में शासकीय पक्ष समर्थन हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के आदेश संवाहित करने का कष्ट करें जिससे निर्धारित तिथि को माननीय न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से जवाबदावा प्रस्तुत किया जा सके।

सहपत्र:- निर्णय आदेश की छायाप्रति।

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग (भ./प)

संभाग, भिण्ड

भिण्ड, दिनांक- / / 2015

पृ. क्रमांक- / को.के. / 2015-16

प्रतिलिपि:-

1. महाअधिवक्ता, उच्च न्यायालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मंडल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग (भ./प)

संभाग, भिण्ड